



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/ 903

दिनांक: 27.02.2026

प्रिय सदस्यों,

विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत डीजीएफटी के व्यापारिक नोटिस – निर्यात दिशा एवं निर्यात प्रोत्साहन

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के दौरान व्यापार नोटिसों की एक श्रृंखला जारी की है, जिसमें निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत कई हस्तक्षेपों की घोषणा की गई है, जिसमें बाजार पहुंच, निर्यात ऋण, रसद, अनुपालन, व्यापार खुफिया और क्षमता निर्माण शामिल हैं, जिसमें एमएसएमई निर्यातकों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आपकी सुविधा के लिए, सभी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के विषय नीचे सूचीबद्ध हैं। सदस्यों को पात्रता शर्तों, प्रक्रियाओं, अनुलग्नों और आवेदन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए डीजीएफटी द्वारा जारी संबंधित मूल व्यापार सूचनाओं को देखने की सलाह दी जाती है।

ए. ईपीएम-निर्यात प्रोत्साहन के तहत व्यापार नोटिस

इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक बैंक-आधारित निर्यात ऋण से परे वैकल्पिक व्यापार वित्त तंत्रों का समर्थन करके अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निर्यात वित्त तक पहुंच को मजबूत करना है।

6. **व्यापार सूचना संख्या 20/2025–26 (02 जनवरी 2026)**

ईपीएम (निर्यात प्रोत्साहन) के तहत पूर्व और पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी का शुभारंभ- निर्यात प्रोत्साहन

7. **व्यापार सूचना संख्या 21/2025–26 (02 जनवरी 2026)**

निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक समर्थन का शुभारंभ

8. **व्यापार सूचना संख्या 22/2025–26 (16 जनवरी 2026)**

प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी समर्थन हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन

9. **व्यापार सूचना संख्या 25/2025-26 (20 फरवरी 2026)**

वैकल्पिक व्यापार उपकरणों के लिए समर्थन की शुरुआत

बी. ईपीएम-निर्यात दिशा के तहत व्यापार नोटिस

यह योजना बाजार पहुंच सहायता हस्तक्षेप को कवर करती है, जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम), अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों (आरबीएसएम) और प्राथमिकता वाले और उभरते निर्यात बाजारों में व्यापार प्रतिनिधि मंडलों सहित गतिविधियों के लिए संरचित वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जाती है।

1. **व्यापार सूचना संख्या 19/2025-26 (31 दिसंबर 2025)**

निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता (एमएस) का शुभारंभ- निर्यात दिशा

2. **व्यापार सूचना संख्या 26/2025-26 (20 फरवरी 2026)**

व्यापार विनियम, प्रत्यायन और अनुपालन सक्षमीकरण (TRACE) का शुभारंभ

3. **व्यापार सूचना संख्या 27/2025-26 (20 फरवरी 2026)**

व्यापार खुफिया एवं सुविधा के लिए एकीकृत समर्थन (INSIGHT) का शुभारंभ

4. **व्यापार सूचना संख्या 28/2025-26 (20 फरवरी 2026)**

फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक्स, ओवरसीज वेयरहाउसिंग एंड फ्लो (FLOW) का शुभारंभ

5. **व्यापार सूचना संख्या 29/2025-26 (20 फरवरी 2026)**

माल ढुलाई एवं परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (LIFT) का शुभारंभ

सदस्यों के लिए परामर्श

- सदस्यों को विस्तृत प्रावधानों के लिए अनुलग्नकों सहित **मूल डीजीएफटी व्यापार सूचनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने** के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्लेक्सकॉन्सिल आगे की स्पष्टीकरणों या घटनाक्रमों के बारे में सदस्यों को अपडेट करता रहेगा।

सदस्य सभी व्यापार सूचनाओं का पूरा पाठ प्राप्त करने के लिए **डीजीएफटी की वेबसाइट**

(www.dgft.gov.in) पर जा सकते हैं।

नमस्कार,

प्लेक्सकॉन्सिल टीम

